न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 76/2004/223 आर टी ए

1. जवानाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।

––अपीलांट

बनाम

1. कुम्भाराम (फौत) दौराने वाद।
2. सुरजाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. मालाराम पुत्र कुम्भाराम (फौत)

3/1 चोरूराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3/2 रूणेचाराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3/3 रामकुमार पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।

4. मलमाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. सीताराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. मु0 अनकौरी बेवा कुम्भाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर।

––असल रेस्पोडेंट

8. धरमाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।

–––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2004 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर
प्र0सं0 175/98 अनवानी धरमाराम आदि बनाम कुम्भाराम आदि

उपस्थित :–
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट
श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–08.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए प्रस्तुत किया कि वादीगण के मु. माधाराम की ग्राम धानसिया की रोही में 210 बीघा कृषि भूमि अर्जित की हुई थी , जिन्हे मुतवफी मधाराम तथा प्रतिवादी कुम्भाराम व उनकें भाई चन्दूराम मुश्तरका काश्त करते थे। मघाराम की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके दो पुत्रों कुम्भाराम व चन्दूराम पर औद हुई , जिनका उन्होंने आपस में बाहमी बंटवारा कर लिया और कुम्भाराम प्रतिवादी के पास ग्राम धानसिया के खसरा नम्बर 422 की 61 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 586 की 11 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 514 की 21 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1050 की 9 बीघा 17 बिस्वा कुल 104 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 की मुश्तरका कब्जे काश्त में है और वादीगण

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

एवं, प्रतिवादी न. 2 ता 5 प्रतिवादीगण के मृतक कुम्भाराम के कौपासर्नर है उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण न. 1 ता 4 का पैदायशी हक एवं हिस्सा है और वादीगण सुरजाराम के 1/5 हिस्सा में बशमूल ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार हको घोषणा करवाकर वादग्रस्त भूमि में अपना व प्रतिवादी न. 2 सुरजाराम का 1/5 हिस्सा दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी/अपीलांट खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि यह कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली का बिना कोई विश्लेषण व विवेचन किये पारित किया गया है जो अपास्तनीय है । विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पर कतई गौर नहीं किया गया कुम्भाराम व चन्दूराम का जमाबंदी में एक साथ अंकन से यह सिद्व था उक्त कृषि भूमि बाद वफात मघाराम उनकें दोनों पुत्रगण कुम्भाराम व चन्दूराम पर औद हुई। यदि उक्त भूमि कुम्भाराम अकेले की नौतोड़ करदा होती तो चन्दूराम का नाम साथ में रिकार्ड ऑफ राइट में दर्ज नहीं होता जिससें तनकी न. 1 वादीगण द्वारा प्रस्तूत उक्त जमाबंदी से हिन्दू जद्दी जायदाद (मघाराम का होना) पैतृक कृषि भूमि होना बखूबी साबित था। परन्तु मातहत अदालत द्वारा उक्त तथ्यों कों व दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर गैरकानूनी ढ़ग से निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है। प्रतिवादी न. 1 कुम्भाराम एक जईफूल व शारीरिक दृष्टि से लाचार व्यक्ति था, को अनुचित दबाब में लेकर उपरोक्त तमाम 104 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि का चतूर व चालाक प्रतिवादीगण सख्या 3 ता 5 मालाराम, मलमाराम व सीताराम ने अपने असर में करकें 07.10.1991 को अपने पक्ष में एक अनुचित वसीयतनामा निष्पादित करवा लिया जबकि प्रतिवादी न. 1 का कोई हक व अधिकार नहीं है कि अपने नाम मुश्तरका हिन्दू खानदान की मुश्तरका जद्दी जायदाद को प्रतिवादी नं. 3 ता 5 के नाम से किसी प्रकार से अन्तरित कर दे उक्त वसीयतनामा जात से ही है परन्तु माहत अदालत ने उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेजी साक्ष्य पर कतई गौर ना करके अनुचित एवं गैरकानूनी ढ़ग से निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है। प्रतिवादी नं. 3 ता 5 (रेस्पोडेट) चतूर व चालाक व्यक्ति है रेस्पोंडेंट सुरजाराम जन्मांध व्यक्ति है जो भोला भाला है उक्त से भूमि हड़पने के उद्देश्य से सीलिंग में भूमि कटने का भय दिखा कर उसकों आवंटित भूमि का भी बिला बदल अपनें पक्ष में बैयनामा करवा लिया था उक्त रेस्पोंडेट की बदयांती वादीगण (अपीलांट) की साक्ष्य से साबित थी। अपीलाधीन निर्णय पारित करतें समय मातहत अदालत ने प्रतिवादी (रेस्पो.) सीताराम द्वारा जिरह में किया गया कथन कि कुम्भा व चन्दू के शामिल खातें की जमीन नहीं है व वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमांबदी जिसमें दोनों का शामिल खाते की जमीन नहीं है व वादीगण द्वारा प्रस्तूत जमांबदी जिसमें दोनों का शामिलता रूप में नाम बतौर खातेदार दर्ज है कान्ट्राडिक्टरी एविडेन्स है जो प्रतिवादी/रेस्पों. ने दस्तावेज डेक्यू. एविडेन्स के विरूद्ध दी है पर जरा भी ध्यान नहीं देकर विधि की भंयकर उपेक्षा में निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है। भारतीय उतराधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी वसीयत के आधार पर अपने अधिकार न्यायालय में संस्थापित नहीं कर सकता जब तक वो उस वसीयत के आधार पर प्रोबेट या लेटर आफ एडमिनिस्ट्रेशन साक्ष्य न्यायालय से प्राप्त न करें। उक्त प्रोविजन समस्त भारत वर्ष में लागू है जिस पर मातहत अदालत ने कतई गौर ना कर विधि कर भयंकर उपेक्षा में निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि कुम्भाराम की पैदाकरदा एवं कब्जा काश्त की भूमि है तथा उक्त भूमि अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 का कोई हक व हिस्सा नही है। रेस्पो0 सं. 1 ने रेस्पो0 सं. 2 सुरजाराम को 50 बीघा, रेस्पो0 सं. 3 मालाराम को 22 बीघा, रेस्पो0 सं. 4 को 25 बीघा भूमि पहले से ही हासिल करके दे रखी है तथा सीताराम रेस्पो0 के नाम कोई भूमि नही है इसलिये रेस्पो0 सं. 1 ने अपने चारो पुत्रों को बराबर करने के लिये अपनी खुद की पैदाकरदा भूमि मे से 50 बीघा भूमि रेस्पो0 सं. 5 सीताराम को, 28 बीघा भूमि रेस्पो0 सं. 3 मालाराम को, 26

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बीघा भूमि रेस्पो0 सं. 4 मलमाराम को दिनांक 07.10.1991 को वसीयत कर दी है। चूंकि भूमि रेस्पो0 सं. 1 की स्वयं की पैदाकरदा है, अत रेस्पो0 सं. 1 कुम्भाराम को अपनी भूमि की वसीयत करने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया है कि ''वादीगण ने नकल जमाबंदी पैमाईश सम्वत 2001(Exp-3) प्रस्तुत की है जिसमे कुल भूमि कुम्भाराम व चन्दूराम के नाम दर्ज है परन्तु इससे भी यह साबित नही होता है कि उक्त जमाबंदी मे खसरा नं. 110 व 411 के नवीन खसरा नं. 422, 586, 114 या 1050 बने है। पत्रावली मे वादीगण द्वारा कोई मिलान खसरा पेश नही किया गया है। द्वितीय अगर यह मान भी लिया जाये कि उक्त नवीन खसरो की भूमि ही वादग्रस्त आराजी है तो इससे यह साबित नही होता है कि उक्त भूमि पैतृक है एवं इसमे वादीगण का पैमाईशी हक व हिस्सा है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से वादीगण उक्त भूमि को पैतृक साबित नही कर पाया है बल्कि पत्रावली के दस्तावेजी साक्ष्य से तो यही साबित है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 कुम्भाराम का उक्त वादग्रस्त आराजी मे पैदाईशी हक साबित नही होता है वरन् दस्तावेजी साक्ष्य इस तथ्य की पुष्टि करते है कि वादग्रस्त भूमि आराजी प्रतिवादी सं. 1 मृतक कुम्भाराम की अर्जित भूमि है और उक्त भूमि बाबत प्रतिवादी सं. 1 को वसीयत का अधिकार था। जिसका हस्तान्तरण भी उसके द्वारा जरिये वसीयत किया जा चुका है ओर इस वसीयत के मुताबिक इंतकाल भी दर्ज हो चुका है। वादीगण अपने वाद को साबित करने मे असफल रहे है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है।'' इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साक्ष्य वादग्रस्त भूमि कुम्भाराम की होनी साबित हुई तथा कुम्भाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि की वसीयत कर दी और प्रश्नगत वसीयत के आधार पर नामान्तरण भी राजस्व अभिलेख मे दर्ज हो चुका है। अपीलांट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष और ना ही इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे वाद वादीगण/अपीलांट साबित हो सके है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलांट/वादीगण का वाद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये खारिज किया गया है जिसमे किसी प्रकार कोई प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2004 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ